ऑन लाईन नं. RCMS 2021/70

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 33/2021

1. श्रीमती मनीषा महेन्द्रा पत्नी श्री विशाल मेहता निवासी मकान नम्बर 33, गली नम्बर 02, इन्द्रा कॉलोनी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती सविता पत्नी गौरव तलवार निवासी 61 बी विवेकानन्द कॉलोनी मैक्स हॉस्पीटल के पीछे, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. भारतभूषण नागपाल ,मनदीप सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विभागीय प्रतिनिधि।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित

आदेश — दिनांक : 27.10.2021

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 15.12.2020 को परियोजना श्रीगंगानगर व अन्य जगहो पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के अन्तर्गत सेवा पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। उक्त पद पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के बराबर अंक दिखकर आयु के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 2 का चयन इस पद हेतू कर दिया गया जबकि अप्रार्थीया संख्या 2 को एक अंक एनएफएसए के तहत अधिक दिया गया। प्रार्थीया का राशनकार्ड जो प्रार्थीया द्वारा अपने पिता का पेश किया गया था की गणना नहीं की गई। प्रार्थीया को उक्त चयन के अयोग्य करार दिया गया। प्रार्थीया का पति सूरतगढ में एक्सीस बैंक में जॉब करता है व प्रार्थीया वर्तमान समय में भी अपने पिता के मकान में निवास कर रही है। केवल मात्र राशन कार्ड को आधार मानकर प्रार्थीया को अंक कम दिया गया है व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम पिता के राशन कार्ड में जुडे होने के कारण अंक नही दिया जो कि कानूनन गलत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आदेश कमांक 03/2020 दिनांक 15.12.2020 जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के चयन की अनुशंषा की गई है को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास, श्रीगंगानगर ने अपना जबाब पत्र कमांक 1924 दिनांक 30.09.2021 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि पत्र कमांक 9829 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 02/2020 रिक्त पदो पर चयन करने हेतू जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में वार्ड नम्बर 42 पर कार्यकर्ता के पद हेतू भी आवेदन मांगे गये और प्राप्त कुल आवेदन 27 थे। इन 27 आवेदनों में से श्रीमती मनीषा महेन्द्रा का भी एक आवेदन था। वित्तिय वर्ष 2020-21 में बाल

कलक्टर (प्रशासन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर शहर के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रो के रिक्त चले पदो पर निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं, राजस्थान जयपुर के परिपत्र 150819 दिनांक 09.11.2016 के द्वारा कार्यकर्ता और सहायिका तथा आशा–सहयोगिनियों का निदेशालय समेंकित बाल विकास सेवाऐं जयपुर के आदेश कमांक 111122 दिनांक 25.07.2017 के दिशा–निर्देशानुसार चयन किया जाना था। आयु तथा श्रैणीवार प्राथमिकता के सम्बन्ध में निदेशालय जयपुर के द्वारा आदेश कमांक–68407 दिनांक 26.04.2018 जारी किया गया है। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के पत्र कमांक एफ11(3)मा,कर्मिया सम्बन्धी आई.सी.डी.एस./2018/8599 दिनांक 31.01.2020 से प्राप्त निर्देशों की पालना में ओबीसी का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर तथा राज्य से बाहर के जाति प्रमाण पत्रों को सामान्य श्रेणी के अनुसार अंक दिये जाकर वरीयता सूची जारी की गई।

अंक जोड़ने की प्रकिया :– शै0 यो0 अंक :– 12वी –1, स्नातक–2, स्नातक से अधिक–3 श्रेणी सा0–1, ओबीसी–अल्पसंख्यक–2, एससी/एसटी–3, अन्य–विधवा–3 परित्यक्ता/तलाकशुदा–2 बीपीएल–1 आरएससीआईटी–1 कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन 1 वर्ष अनुभव–3

चयन हेतू वांछित पात्रता :– स्थानिय निवासी, विवाहित, शैक्षणिक योग्यता न्यूनंतम 10वी, आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूतिच जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता के प्रकरण में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक है। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)

श्रेणीवार प्राथमिकता :– जिन केन्द्रो के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रो के चयन हेतू उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यतः किया जावेगा। विज्ञप्ति में आरक्षण श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख किया जावे यदि ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्रो के सम्बन्ध में प्रचार–प्रसार के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक श्रेणी का एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में प्राप्त अन्य श्रेणी के आवेदनों में से चयन हेतू मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर पात्र अभ्यर्थी का चयन कर लिया जावेगा।

दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जावेगा।

1. उक्त आवेदनों को संबंधित महिला पर्यवेक्षक के द्वारा जांचा गया और उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुसार अस्थाई वरीयता सूची तैयार की गई जो कि सलंग्न अनुसार थी। इस सूची को मय आवेदन पत्रो के 27.04.2021 को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु तत्कालीन उपनिदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो चयन कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती पूनम सोनी को चयन हेतू नामांकित किया गया और कम संख्या 2 पर श्रीमति सविता व 3. पर श्रीमती मनीषा दर्ज आवेदनकर्ताओं को आरक्षित रख लिया गया। महिला पर्यवेक्षक के द्वारा चयन कमेटी की बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि श्रीमती पूनम सोनी वर्तमान में एएनएम प्रशिक्षण में है, तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा श्रीमती पूनम सोनी को 10 दिवस के भीतर प्रशिक्षण स्थल से कार्यमुक्त होकर आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयन आदेश प्राप्त करने हेतू लिखा, परन्तु श्रीमती पूनम सोनी तय समय अवधि में उपस्थित नहीं हुई। इसी कारण कम संख्या 2 व 3 पर दर्ज आवेदनकर्ता के सलंग्न सूची के अनुसार अंक बराबर 7 थे। विभागीय परिपत्रानुसार कमांक 150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार 2 या 2 से अधिक के वरीयता सूची के अंक बराबर है तो अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जावेगा। इसी कम में अधिकतम आयु होने के कारण श्रीमती सविता को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

प्राथमिकता दी गई। श्रीमती सविता के द्वारा सास के नाम का राशनकार्ड लगाया जिसमें उसके पूरे परिवार (स्वयं, पति व बच्चों) का नाम दर्ज है इसी कारण श्रीमती सविता को बीपीएल व नफसा में पंजीकृत होने के अंक दिये गये जबकि श्रीमती मनीषा के द्वारा अपने पिता का राशनकार्ड लगाया गया है जिसमें केवल श्रीमती मनीषा का ही नाम अन्य कोई सदस्य (पति, बच्चो आदि) इनके परिवार का नही है। विभागीय परिपत्रानुसार आवेदनकर्ता विवाहित होना अनिवार्य है। अतः बीपीएल, नफसा, निवास आदि के दस्तावेज पति/ससुराल पक्ष के ही मान्य किये जाते है। श्रीमान जी उपरोक्त चयन विभागीय नियमानुसार ही किया गया है। अतः रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है।

अधिवक्ता अपीलार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि कि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा दिनांक 15.12.2020 को परियोजना श्रीगंगानगर व अन्य जगहो पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के अन्तर्गत सेवा पर चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। उक्त पद पर प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 के बराबर अंक दिखकर आयु के आधार पर अप्रार्थीया संख्या 2 का चयन इस पद हेतू कर दिया गया जबकि अप्रार्थीया संख्या 2 को एक अंक एनएफएसए के तहत अधिक दिया गया। प्रार्थीया का राशनकार्ड जो प्रार्थीया द्वारा अपने पिता का पेश किया गया था की गणना नहीं की गई। प्रार्थीया को उक्त चयन के अयोग्य करार दिया गया। प्रार्थीया का पति सूरतगढ में एक्सीस बैंक में जॉब करता है व प्रार्थीया वर्तमान समय में भी अपने पिता के मकान में निवास कर रही है। केवल मात्र राशन कार्ड को आधार मानकर प्रार्थीया को अंक कम दिया गया है व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम पिता के राशन कार्ड में जुडे होने के कारण अंक नही दिया जो कि कानूनन गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो आदेश कमांक 03/2020 दिनांक 15.12.2020 जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 के चयन की अनुशंषा की गई है को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किये जाने का आदेश दिया जावें।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त आवेदनों को संबंधित महिला पर्यवेक्षक के द्वारा जांचा गया और उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुसार अस्थाई वरीयता सूची तैयार की गई जो कि सलंग्न अनुसार थी। इस सूची को मय आवेदन पत्रो के 27.04.2021 को चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु तत्कालीन उपनिदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो चयन कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से श्रीमती पूनम सोनी को चयन हेतू नामांकित किया गया और कम संख्या 2 पर श्रीमति सविता व 3. पर श्रीमती मनीषा दर्ज आवेदनकर्ताओं को आरक्षित रख लिया गया। महिला पर्यवेक्षक के द्वारा चयन कमेटी की बैठक के दौरान अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया गया कि श्रीमती पूनम सोनी वर्तमान में एएनएम प्रशिक्षण में है, तो अध्यक्ष महोदय के द्वारा श्रीमती पूनम सोनी को 10 दिवस के भीतर प्रशिक्षण स्थल से कार्यमुक्त होकर आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयन आदेश प्राप्त करने हेतू लिखा, परन्तु श्रीमती पूनम सोनी तय समय अवधि में उपस्थित नहीं हुई। इसी कारण कम संख्या 2 व 3 पर दर्ज आवेदनकर्ता के सलंग्न सूची के अनुसार अंक बराबर 7 थे। विभागीय परिपत्रानुसार कमांक 150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार 2 या 2 से अधिक के वरीयता सूची के अंक बराबर है तो अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जावेगा। इसी कम में अधिकतम आयु होने के कारण श्रीमती सविता को प्राथमिकता दी गई। श्रीमती सविता के द्वारा सास के नाम का राशनकार्ड लगाया जिसमें उसके पूरे परिवार (स्वयं, पति व बच्चों) का नाम दर्ज है इसी कारण श्रीमती सविता को बीपीएल व नफसा में पंजीकृत होने के अंक दिये गये जबकि श्रीमती मनीषा के द्वारा अपने पिता का राशनकार्ड लगाया गया

(प्रशासन)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्र

है जिसमें केवल श्रीमती मनीषा का ही नाम अन्य कोई सदस्य (पति, बच्चो आदि) इनके परिवार का नही है। विभागीय परिपत्रानुसार आवेदनकर्ता विवाहित होना अनिवार्य है। अतः बीपीएल, नफसा, निवास आदि के दस्तावेज पति/ससुराल पक्ष के ही मान्य किये जाते है। उपरोक्त चयन विभागीय नियमानुसार ही किया गया है। अतः अपीलार्थीया खारिज फरमाई जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अनुपस्थित। बार–बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नहीं।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि त्र कमांक 9829 दिनांक 15.12.2020 के द्वारा विज्ञप्ति संख्या 02/2020 रिक्त पदो पर चयन करने हेतू जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति में वार्ड नम्बर 42 पर कार्यकर्ता के पद हेतू भी आवेदन मांगे गये। अपीलार्थीया का मुख्य आरोप है कि केवल मात्र राशन कार्ड को आधार मानकर प्रार्थीया को अंक कम दिया गया है व राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम पिता के राशन कार्ड में जुडे होने के कारण अंक नही दिया जो कि कानूनन गलत है। विभागीय परिपत्रानुसार कमांक 150819 दिनांक 09.11.2016 के अनुसार 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के वरीयता सूची में अंक बराबर है तो अधिकतम आयु वाली महिला का चयन किया जावेगा। इसी कम में अधिकतम आयु होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती सविता को प्राथमिकता दी गई जो विभाग के दिशा निर्देशोनुसार की पालना में किया गया है। फलस्वरूप अपलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी (शहर) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति० जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।